INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES



ISSN 2277 – 9809 (online)
ISSN 2348 - 9359 (Print)

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.IRJMSH.com
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

भारतीय संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा अध्यक्ष की संवैधानिक स्थिति, शक्तियों एवं निष्पक्षता का राजनीतिक विश्लेषण

डॉ. बृजेश स्वरुप सोनकर

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग

कर्म क्षेत्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इटावा (उ.प्र.)

सारांश (Abstract)

भारतीय संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली में लोकसभा अध्यक्ष (Speaker of the Lok Sabha) का पद अत्यंत गरिमामयी, प्रभावशाली और तटस्थ संस्था के रूप में स्थापित है। प्रस्तुत शोध पत्र राजनीति विज्ञान के परिप्रेक्ष्य से लोकसभा अध्यक्ष की संवैधानिक स्थिति, विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों, दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत उनकी अर्द्ध-न्यायिक भूमिका तथा उनकी राजनीतिक निष्पक्षता से जुड़े सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक आयामों का गहन अध्ययन करता है। यह अध्ययन ऐतिहासिक, वैधानिक और संवैधानिक संदर्भों के आधार पर यह रेखांकित करता है कि किस प्रकार अध्यक्ष की निष्पक्षता भारतीय लोकतंत्र की लोकतांत्रिक मर्यादाओं, विधायी स्वायत्तता और संसदीय संस्थाओं की विश्वसनीयता को बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाती है।

मुख्य शब्द (Keywords) : लोकसभा अध्यक्ष, संसदीय लोकतंत्र, संवैधानिक स्थिति, शक्तियों का पृथक्करण, निष्पक्षता, दलबदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची), पीठासीन अधिकारी, राजनीति विज्ञान।

परिचय (Introduction)

भारतीय संसदीय लोकतंत्र की संवैधानिक और संस्थागत संरचना में लोकसभा अध्यक्ष (Speaker of the Lok Sabha) का पद अत्यंत गरिमामयी, उच्च, प्रभावशाली तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की सर्वोच्च धुरी के रूप में स्थापित है। भारत के संविधान निर्माताओं ने जब वर्ष 1950 में देश के लिए ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर (Westminster) मॉडल पर आधारित संसदीय शासन प्रणाली का चयन किया, तो उन्होंने यह भली-भांति समझा कि इस व्यवस्था का सफल, निष्पक्ष और सुचारू संचालन केवल एक सुदृढ़ और निष्पक्ष पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) की उपस्थिति में ही संभव है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अंतर्गत **अनुच्छेद 93** यह प्रावधान करता है कि "लोकसभा, जितनी जल्दी हो सके, अपने दो सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी।" यह संवैधानिक निर्देश भारतीय संसद के निम्न सदन की प्रथम एवं प्राथमिक संस्थागत आवश्यकता को रेखांकित करता है। लोकसभा अध्यक्ष का पद केवल एक प्रशासनिक या सभापति का पद मात्र नहीं है; यह भारत के संपूर्ण नागरिक समाज, विधायी स्वायत्तता और जन-प्रतिनिधियों की सामूहिक शक्ति व संप्रभुता का जीवंत प्रतीक

है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में अध्यक्ष पद की गरिमा और उसके संवैधानिक अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा था:

"अध्यक्ष संसद की स्वतंत्रता और स्वायत्तता का प्रतीक होता है। चूंकि संसद स्वयं राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए एक अर्थ में अध्यक्ष भारतीय राष्ट्र की स्वतंत्रता और उसकी लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का प्रतीक बन जाता है। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि वह एक उच्च पद हो, और उस पद पर ऐसा व्यक्ति आसीन हो जो स्वतंत्रता, निष्पक्षता और सभी के अधिकारों के प्रति सजगता का प्रतिनिधित्व करता हो।"

1. ऐतिहासिक उद्भव और वेस्टमिंस्टर परंपरा का भारतीयकरण

भारतीय लोकतंत्र में लोकसभा अध्यक्ष के पद का विकास एकाएक नहीं हुआ, अपितु यह एक लंबी ऐतिहासिक और वैधानिक प्रक्रिया की परिणति है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान पारित **भारत सरकार अधिनियम, 1919** (Montagu-Chelmsford Reforms) के माध्यम से 'केंद्रीय विधान सभा' (Central Legislative Assembly) के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी के रूप में 'अध्यक्ष' (President) पद का सृजन किया गया था। वर्ष 1921 में सर फ्रेडरिक व्हिटली को इसका प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। परंतु भारतीय संसदीय इतिहास का वास्तविक स्वर्णिम मोड़ वर्ष 1925 में आया, जब महान राष्ट्रवादी नेता **विट्ठलभाई पटेल** ने ब्रिटिश उम्मीदवार को पराजित कर केंद्रीय विधान सभा के प्रथम भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष (President) बनने का गौरव प्राप्त किया। विट्ठलभाई पटेल ने अपने कार्यकाल के दौरान औपनिवेशिक कार्यकारिणी (Executive) के हस्तक्षेप के विरुद्ध विधान सभा के कर्मचारियों और परिसर पर पीठासीन अधिकारी के पूर्ण नियंत्रण और स्वायत्तता की नींव रखी, जो आगे चलकर भारतीय संविधान में अध्यक्ष की व्यापक शक्तियों का आधार बनी।

वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पहली बार 'प्रसीडेंट' शब्द के स्थान पर 'स्पीकर' (Speaker) शब्द का प्रयोग किया गया। तत्पश्चात, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और 1950 में संविधान लागू होने पर गणेश वासुदेव मावलंकर (G.V. Mavlankar) को प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। जी.वी. मावलंकर ने अपने अनुकरणीय निर्णयों, कार्य-संचालन नियमों के निर्धारण और संसदीय परंपराओं के निर्माण के माध्यम से इस पद को जो निष्पक्षता और गरिमा प्रदान की, उसी के कारण उन्हें व्यापक रूप से **'लोकसभा के पिता' (Father of the Lok Sabha)** की संज्ञा दी जाती है।

2. संवैधानिक ढांचा, शक्तियाँ और संस्थागत निष्पक्षता का सैद्धांतिक आधार

राजनीति विज्ञान और संवैधानिक विधि (Constitutional Law) के सिद्धांतों के अनुसार, संसदीय लोकतंत्र का मूल आधार 'शक्तियों का पृथक्करण' (Separation of Powers) और 'नियंत्रण एवं संतुलन' (Checks and Balances) है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका (Executive) सदैव विधायिका (Legislature) के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद के भीतर यह सुनिश्चित करना कि बहुसंख्यक सत्ता पक्ष अल्पमत वाले विपक्ष की आवाज को दबा न सके और विपक्ष को अपनी बात कहने का पूर्ण एवं न्यायसंगत अवसर मिले, अध्यक्ष का प्राथमिक कर्तव्य है। अध्यक्ष की शक्तियों को भारतीय संविधान, लोकसभा के कार्य-संचालन एवं प्रक्रिया संबंधी नियमों तथा संसदीय परंपराओं से संबल प्राप्त होता है:

- **सदन का सर्वोच्च संरक्षक:** वह सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है और विदेशी संसदों या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व करता है।
- **संसदीय प्रक्रिया का अंतिम व्याख्याकार:** संसद के भीतर संविधान के प्रावधानों, नियमों और संसदीय परंपराओं की व्याख्या करने का अंतिम और बाध्यकारी अधिकार अध्यक्ष के पास होता है।
- **संसदीय विशेषाधिकारों का रक्षक:** वह सांसदों के विशेषाधिकारों (Parliamentary Privileges) की रक्षा करता है और सदन की अवमानना करने पर दंडात्मक कार्रवाई का आदेश दे सकता है।
- **निर्णायक मत (Casting Vote):** अनुच्छेद 100(1) के अनुसार, अध्यक्ष सामान्यतः प्रथम दृष्टया मतदान नहीं करता, परंतु किसी प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के वोट बराबर (Tie) होने की स्थिति में वह अपने 'निर्णायक मत' का प्रयोग कर विधायी गतिरोध को दूर करता है।
- **धन विधेयक का अंतिम प्रमाणन:** अनुच्छेद 110(3) के तहत कोई विधेयक 'धन विधेयक' (Money Bill) है या नहीं, इसका निर्णय करने का अनन्य और अंतिम अधिकार अध्यक्ष को प्राप्त है, जिसे किसी भी न्यायालय या सदन में चुनौती नहीं दी जा सकती।

3. व्यावहारिक राजनीति, दलीय निष्ठा और निष्पक्षता का अंतर्विरोध

ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, जहाँ से भारत ने इस संस्था को ग्रहण किया है, एक अत्यंत अनुकरणीय परंपरा का पालन करती है जिसे **"वंस ए स्पीकर, ऑलवेज ए स्पीकर" (Once a Speaker, Always a Speaker)** कहा जाता है। ब्रिटेन में जब किसी सांसद को हाउस ऑफ कॉमन्स का अध्यक्ष चुना जाता है, तो वह तत्काल प्रभाव से अपने राजनीतिक दल की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है। इसके पश्चात वह पूर्णतः दलीय राजनीति से पृथक हो जाता है और अगले आम चुनावों में राजनीतिक दल उसके विरुद्ध अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करते, जिससे वह निर्दलीय चुनाव जीतकर पुनः अध्यक्ष पद पर आसीन होता है।

इसके विपरीत, भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में स्थिति भिन्न है। भारत में चुनाव जीतने और अध्यक्ष पद पर मनोनीत होने के बाद भी पीठासीन अधिकारी अपने राजनीतिक दल से त्यागपत्र नहीं देते। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 93 और 10वीं अनुसूची में यह प्रावधान है कि यदि अध्यक्ष चुनाव के बाद अपने दल से त्यागपत्र देता है तो उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, परंतु व्यावहारिक रूप से भारतीय राजनीति में किसी भी अध्यक्ष ने अपने दल की सदस्यता का परित्याग नहीं किया है।

यहीं से राजनीति विज्ञान का सबसे संवेदनशील और गंभीर विमर्श प्रारंभ होता है। जब कोई व्यक्ति अपने दल का सक्रिय सदस्य बना रहता है और पुनर्मूल्यांकन या आगामी चुनावों के लिए अपने दल के मैंडेट (Mandate) और टिकट पर निर्भर होता है, तो अति-संवेदनशील राजनीतिक परिस्थितियों में उसकी राजनीतिक तटस्थता (Political Neutrality) पर प्रश्न उठना स्वाभाविक हो जाता है। विशेष रूप से निम्नलिखित परिस्थितियों में अध्यक्ष की भूमिका की कड़ी समीक्षा होती है:

1. **10वीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून, 1985) के तहत निर्णय:** 52वें संविधान संशोधन द्वारा दलबदल के आधार पर सांसदों की अयोग्यता का निर्णय करने का अनन्य अधिकार अध्यक्ष को दिया

गया। कई अवसरों पर यह देखा गया कि अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में अध्यक्षों द्वारा राजनीतिक लाभ-हानि के आधार पर या तो अत्यधिक शीघ्रता दिखाई गई या फिर वर्षों तक याचिकाओं को लंबित रखा गया।

2. **सदन के स्थगन और अविश्वास प्रस्तावों का प्रबंधन:** सत्ता पक्ष को राजनीतिक संकट से बचाने के लिए सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (Adjourn Sine Die) करने या विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तिथि तय करने में अध्यक्षीय निर्णयों की बार-बार निष्पक्षता की कसौटी पर परीक्षा हुई है।
3. **धन विधेयक का प्रमाणन:** साधारण विधेयकों को राज्यसभा के विधायी नियंत्रण से बचाने के लिए उन्हें 'धन विधेयक' के रूप में प्रमाणित करने की प्रवृत्तियों ने भी अध्यक्ष पद की संवैधानिक स्वतंत्रता और न्यायसंगतता पर गंभीर अकादमिक बहस को जन्म दिया है।

संक्षेप में, लोकसभा अध्यक्ष का पद केवल एक प्रक्रियात्मक पद नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की आत्मा, विधायी अखंडता और संस्थागत साख का मापदंड है। संविधान द्वारा प्रदत्त अपार शक्तियों और विशेषाधिकारों के बावजूद, इस पद की सफलता शक्तियों के लिखित प्रावधानों से अधिक उस पर आसीन व्यक्ति के व्यक्तिगत विवेक, निष्पक्षता, लोकतांत्रिक नैतिक मूल्यों और तटस्थता के आचरण पर निर्भर करती है।

शोध समस्या का कथन (Statement of the Research Problem)

क्या भारतीय संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के बढ़ते ध्रुवीकरण, दलीय निष्ठाओं और दलबदल जैसी जटिल परिस्थितियों के बीच लोकसभा अध्यक्ष अपनी संवैधानिक स्वतंत्रता और राजनीतिक निष्पक्षता को पूर्ण रूप से बनाए रखने में सफल रहे हैं, अथवा उनकी शक्तियों के दलीय/राजनीतिक प्रयोग ने उनकी तटस्थता एवं संसदीय मर्यादा पर प्रश्नचिह्न लगाए हैं?

शोध के उद्देश्य (Objectives of the Research)

1. भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष की संवैधानिक स्थिति, स्वायत्तता एवं पद की गरिमा का विश्लेषण करना।
2. अध्यक्ष की विधायी, प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक एवं अर्द्ध-न्यायिक शक्तियों का समालोचनात्मक मूल्यांकन करना।
3. दलबदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची) के संदर्भ में अध्यक्ष की भूमिका एवं न्यायपालिका के साथ उसके संबंधों का अध्ययन करना।
4. दलीय दबावों के बीच लोकसभा अध्यक्ष की राजनीतिक निष्पक्षता से संबंधित व्यावहारिक अंतर्विरोधों की पहचान करना।

शोध प्रश्न (Research Questions)

1. भारतीय संविधान में लोकसभा अध्यक्ष की स्वायत्तता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु क्या वैधानिक प्रावधान किए गए हैं?

2. 10वीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के अंतर्गत अध्यक्ष की अर्द्ध-न्यायिक भूमिका ने उनकी निष्पक्षता को किस प्रकार प्रभावित किया है?
3. ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की तुलना में भारतीय लोकसभा अध्यक्ष की राजनीतिक संबद्धता और निष्पक्षता में क्या मौलिक अंतर हैं?
4. क्या अध्यक्ष पद को पूर्णतः गैर-राजनीतिक बनाने के लिए संस्थागत एवं संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता है?

परिकल्पना (Hypothesis)

- यद्यपि भारतीय संविधान लोकसभा अध्यक्ष को स्वायत्त और निष्पक्ष भूमिका प्रदान करता है, परंतु ब्रिटेन की भांति चुनाव जीतने के पश्चात दल से त्यागपत्र न देने की परंपरा और दलबदल कानून के तहत विवेकाधीन शक्तियों का दलीय झुकाव के साथ प्रयोग, अध्यक्ष पद की निष्पक्षता और संसदीय गरिमा को प्रभावित करता है।

शोध-पद्धति एवं शोध-प्रविधियाँ (Research Methodology)

प्रस्तुत अध्ययन में विशुद्ध रूप से **ऐतिहासिक-विश्लेषणात्मक (Historical-Analytical)**, **संवैधानिक-संसदीय (Constitutional-Legal)** तथा **गुणात्मक (Qualitative)** शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है। शोध के प्राथमिक स्रोतों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम, संसदीय समितियों की रिपोर्टें तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय शामिल हैं। द्वितीयक स्रोतों के रूप में राजनीति विज्ञान के प्रमाणिक ग्रंथों, शोध निबंधों, समाचार-पत्रों तथा संसदीय पत्रिकाओं का समालोचनात्मक अध्ययन किया गया है।

साहित्य की समीक्षा (Review of Literature)

- **कश्यप, सुभाष सी. (1994):** अपनी पुस्तक *'पार्लियामेंट्री प्रोसीजर'* में तर्क देते हैं कि अध्यक्ष का पद भारतीय लोकतंत्र का 'स्पीकिंग सिंबल' (Speaking Symbol) है, जो सदन की सामूहिक अभिव्यक्ति को आवाज देता है।
- **मॉरिस-जोन्स, डब्ल्यू. एच. (1957):** *'पार्लियामेंट इन इंडिया'* में भारतीय संसद की कार्यप्रणाली और वेस्टमिंस्टर मॉडल के बीच सामंजस्य का अध्ययन करते हुए पीठासीन अधिकारियों की भूमिका का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करते हैं।
- **शकदहेर, एस. एल. एवं कौल, एम. एन. (2001):** *'प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट'* में अध्यक्ष की प्रक्रियात्मक शक्तियों, विशेषाधिकारों और सदन संचालन में उनके विशेषाधिकारों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करते हैं।

शोध-अंतराल (Research Gap)

पूर्ववर्ती अधिकांश साहित्य लोकसभा अध्यक्ष के केवल प्रक्रियात्मक नियमों और वैधानिक शक्तियों के विवरण तक सीमित रहा है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत दलीय निष्ठाओं, 10वीं अनुसूची के दुरुपयोग के मामलों,

तथा ब्रिटिश परंपरा 'वंस ए स्पीकर, ऑलवेज ए स्पीकर' के भारतीय संदर्भ में क्रियान्वयन न होने से उत्पन्न 'सहमति के संकट' का एकीकृत एवं अद्यतन विश्लेषणात्मक अध्ययन अपेक्षाकृत कम प्राप्त होता है। वर्तमान शोध पत्र इसी अंतराल की पूर्ति करता है।

अध्ययन का महत्व एवं आवश्यकता (Significance and Need of the Study)

संसदीय लोकतंत्र की सफलता बहुसंख्यक सत्ता पक्ष और अल्पसंख्यक विपक्ष के बीच संतुलन पर निर्भर करती है। लोकसभा अध्यक्ष इस संतुलन की धुरी है। राजनीति विज्ञान में शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers), विधायी स्वायत्तता और संसदीय संस्थाओं की गिरती साख के पुनरुद्धार को समझने के लिए अध्यक्ष पद का पुनर्मूल्यांकन अत्यंत आवश्यक एवं प्रासंगिक है।

सैद्धांतिक आधार (Theoretical Framework)

यह शोध पत्र राजनीति विज्ञान के **'संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत' (Theory of Constitutional Democracy)**, **'शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत' (Separation of Powers)** तथा **'संसदीय तटस्थता के मॉडल' (Institutional Impartiality Model)** पर आधारित है। इसमें यह विश्लेषित किया गया है कि किसी भी लोकतांत्रिक संस्था की प्रभावशीलता उसकी प्रक्रियात्मक निष्पक्षता (Procedural Fairness) पर टिकी होती है।

अध्ययन का क्षेत्र एवं सीमाएँ (Scope and Limitations)

- **क्षेत्र:** भारतीय लोकसभा अध्यक्ष की संवैधानिक स्थिति, शक्तियों, दलबदल कानून और निष्पक्षता का अखिल भारतीय एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन।
- **सीमाएँ:** यह अध्ययन विशुद्ध रूप से राजनीति विज्ञान के संवैधानिक एवं संस्थागत दायरे तक सीमित है और इसमें उपलब्ध एवं प्रकाशित प्रामाणिक तथ्यों, आँकड़ों और ऐतिहासिक संदर्भों का ही उपयोग किया गया है।

तथ्यों एवं आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण (Presentation of Facts and Data)

राजनीति विज्ञान (Political Science) विषय के शोध मानकों, संवैधानिक प्रावधानों एवं के वास्तविक ऐतिहासिक आँकड़ों के अनुसार **"भारतीय संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा अध्यक्ष की संवैधानिक स्थिति, शक्तियों एवं निष्पक्षता का राजनीतिक विश्लेषण"** शोध पत्र के **14. तथ्यों एवं आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण (Presentation of Facts and Data)** खंड का 1000 शब्दों का अत्यंत विस्तृत, प्रामाणिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण नीचे प्रस्तुत है:

तथ्यों एवं आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण (Presentation of Facts and Data)

भारतीय संसदीय व्यवस्था में लोकसभा अध्यक्ष के पद की संवैधानिक स्थिति, उसकी विस्तृत शक्तियों और राजनीतिक निष्पक्षता से जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियों को समझने के लिए तथ्यात्मक एवं सांख्यिकीय आँकड़ों का

गहन अध्ययन अनिवार्य है। संसदीय अभिलेखों, संवैधानिक अनुच्छेदों, न्यायिक व्याख्याओं तथा ऐतिहासिक घटनाक्रमों के आधार पर तथ्यों को निम्नलिखित 5 मुख्य श्रेणियों और विस्तृत तालिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है:

1. संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधानों का तथ्यात्मक वर्गीकरण

भारतीय संविधान के भाग 5 (संघ) के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष की स्वायत्तता, निर्वाचन, पदमुक्ति और विशेष शक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट संवैधानिक उपबंध किए गए हैं:

क्रमांक	अनुच्छेद / संशोधन	संवैधानिक विषय	राजनीतिक एवं संस्थागत अर्थ
1	**अनुच्छेद 93**	अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन	लोकसभा अपनी पहली बैठक के बाद यथाशीघ्र अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी।
2	**अनुच्छेद 94**	पद का रिक्त होना, त्यागपत्र और पदमुक्ति	अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। सदन के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत (Effective Majority) से पारित संकल्प द्वारा ही उसे हटाया जा सकता है (14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक)।
3.	**अनुच्छेद 95**	उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति के कर्तव्य	अध्यक्ष का पद रिक्त होने या उनकी अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन।
4	**अनुच्छेद 96**	पदमुक्ति संकल्प पर विचार के समय अध्यक्षता न करना	जब अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब वे सदन में उपस्थित रह सकते हैं, बोल सकते हैं, परंतु प्रथम दृष्टया मतदान नहीं कर सकते (केवल टाई होने पर भी नहीं)।
5.	**अनुच्छेद 100(1)**	निर्णायक मत (Casting Vote)	अध्यक्ष सामान्य परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया मत नहीं देता; परंतु किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत (Tie) होने की स्थिति में ही 'निर्णायक मत' का प्रयोग करता है।
6.	**अनुच्छेद 110(3)**	धन विधेयक का प्रमाणन (Money Bill)	कोई विधेयक 'धन विधेयक' है या नहीं, इसका अंतिम और सर्वोपरि निर्णय करने का अनन्य अधिकार अध्यक्ष को प्राप्त है।
7.	**अनुच्छेद 112(3)(g)**	संचित निधि पर भारित व्यय	अध्यक्ष का वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर भारित होते हैं, जिन पर संसद में मतदान नहीं कराया जा सकता।
8.	**52वाँ संशोधन (1985)**	10वीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून)	दलबदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर निर्णय लेने का अनन्य अधिकार अध्यक्ष को प्रदान किया गया।

2 स्वतंत्रता-उत्तर लोकसभा अध्यक्षों का ऐतिहासिक एवं राजनीतिक डेटाबेस

भारत की प्रथम लोकसभा (1952) से लेकर 16वीं लोकसभा तक कुल 16 विभिन्न व्यक्तियों ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। निम्नलिखित सारणी उनके कार्यकाल और दलीय संबद्धता का डेटा प्रस्तुत करती है:

क्र.सं.	अध्यक्ष का नाम	कार्यकाल (आरंभ - अंत)	लोकसभा	दलीय संबद्धता (निर्वाचन के समय)
1.	गणेश वासुदेव मावलंकर (G.V. Mavlankar)	15 मई 1952 - 27 फरवरी 1956	1ली	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
2.	एम. अनंतशयनम आयंगर	8 मार्च 1956 - 16 अप्रैल 1962	1ली, 2री	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
3.	सरदार हुकम सिंह	17 अप्रैल 1962 - 16 मार्च 1967	3री	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
4.	नीलम संजीव रेड्डी	17 मार्च 1967 - 19 जुलाई 1969	4थी	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (इन्होंने अध्यक्ष बनने पर दल से त्यागपत्र दिया था)
5.	डॉ. जीएस ढिल्लों	8 अगस्त 1969 - 1 दिसंबर 1975	4थी, 5वीं	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
6.	बलिराम भगत	15 जनवरी 1976 - 25 मार्च 1977	5वीं	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
7.	नीलम संजीव रेड्डी	26 मार्च 1977 - 13 जुलाई 1977	6ठी	जनता पार्टी
8.	के.एस. हेगड़े	21 जुलाई 1977 - 21 जनवरी 1980	6ठी	जनता पार्टी
9.	डॉ. बलराम जाखड़	22 जनवरी 1980 - 18 दिसंबर 1989	7वीं, 8वीं	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (सबसे लंबा निरंतर कार्यकाल - लगभग 10 वर्ष)
10.	रवि राय	19 दिसंबर 1989 - 9 जुलाई 1991	9वीं	जनता दल
11.	शिवराज पाटिल	10 जुलाई 1991 - 22 मई 1996	10वीं	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
12.	पी.ए. संगमा	23 मई 1996 - 23 मार्च 1998	11वीं	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (गठबंधन सरकार में

				सर्वसम्मत निर्वाचन)
13.	जी.एम.सी. बालयोगी	24 मार्च 1998 - 3 मार्च 2002	12वीं, 13वीं	तेलुगु देशम पार्टी (पद पर रहते हुए हवाई दुर्घटना में निधन)
14.	मनोहर जोशी	10 मई 2002 - 2 जून 2004	13वीं	शिवसेना
15.	सोमनाथ चटर्जी	4 जून 2004 - 31 मई 2009	14वीं	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) / भाकपा (एम)
16.	मीरा कुमार	4 जून 2009 - 4 जून 2014	15वीं	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (प्रथम महिला अध्यक्ष)
17.	सुमित्रा महाजन	6 जून 2014 (तत्कालीन आसीन)	16वीं	भारतीय जनता पार्टी

स्त्रोत: लोकसभा सचिवालय अभिलेख

3. दलबदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची) के तहत अध्यक्षीय शक्तियों का तथ्यात्मक डेटा

वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका एक **अर्द्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial)** प्राधिकारी के रूप में परिवर्तित हो गई। 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता संबंधी याचिकाओं और अध्यक्षीय निर्णयों का विश्लेषणात्मक आँकड़ा निम्नानुसार है:

क्रमांक	**आयाम / मीट्रिक**	**आँकड़े / तथ्यात्मक स्थिति**	**राजनीतिक विश्लेषणात्मक टिप्पणी**
1	**कुल अयोग्य ठहराए गए सांसद**	25+ लोकसभा सदस्य (विभिन्न लोकसभाओं में)	9वीं लोकसभा (1989-91) में अध्यक्ष रवि राय द्वारा जनता दल के 13 सांसदों को अयोग्य ठहराना ऐतिहासिक रहा।
2	**निर्णय की औसत समय-सीमा**	3 माह से लेकर 3 वर्ष तक (कुछ मामलों में लोकसभा कार्यकाल समाप्ति तक निर्णय नहीं)	अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने की समय-सीमा तय न होने के कारण सत्ता पक्ष द्वारा इसका राजनीतिक लाभ उठाया जाता रहा।
3.	**ऐतिहासिक न्यायिक हस्तक्षेप**	*किहोतो होलोहान बनाम ज़चिल्हू मामला (1992)*	सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की पीठ ने 3:2 के बहुमत से निर्णय दिया कि 10वीं अनुसूची के तहत निर्णय देते समय अध्यक्ष एक 'ट्रिब्यूनल' (Tribunal) की तरह कार्य करता है, अतः उनके निर्णय की **न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)** की जा सकती है।

4. निष्पक्षता एवं दलीय निष्ठा से जुड़े ऐतिहासिक केस-स्टडी डेटा

ब्रिटिश व्यवस्था 'वंस ए स्पीकर, ऑलवेज ए स्पीकर' की तुलना में भारतीय व्यवस्था में अध्यक्ष की दलीय निष्ठा से जुड़े तीन प्रमुख ऐतिहासिक मामले राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मील का पत्थर हैं:

1. **नीलम संजीव रेड्डी (1967):** स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने 1967 में अध्यक्ष चुने जाने के तुरंत बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से औपचारिक त्यागपत्र दे दिया था, ताकि पद की पूर्ण तटस्थता बनी रहे।
2. **सोमनाथ चटर्जी (2008 का अविश्वास प्रस्ताव):** जुलाई 2008 में भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के मुद्दे पर भाकपा (एम) ने मनमोहन सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। भाकपा (एम) ने अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी को भी पद छोड़ कर पार्टी लाइन पर वोट करने का निर्देश दिया। सोमनाथ चटर्जी ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया कि *"अध्यक्ष किसी पार्टी का नहीं, बल्कि संपूर्ण सदन का होता है"* और उन्होंने त्यागपत्र देने से इनकार कर दिया। परिणामस्वरूप उन्हें उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, जो अध्यक्ष पद की निष्पक्षता का सर्वोच्च उदाहरण बना।
3. **धन विधेयक का प्रमाणन (2016-2018):** 16वीं लोकसभा के दौरान 'आधार विधेयक, 2016' को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा 'धन विधेयक' के रूप में प्रमाणित किया गया, जिससे राज्यसभा के विधायी अधिकारों को सीमित करने संबंधी राजनीतिक और वैधानिक विवाद उत्पन्न हुआ। मामला सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के समक्ष विचाराधीन हुआ।

उपर्युक्त प्रस्तुत तथ्य एवं आँकड़े यह स्पष्ट रेखांकित करते हैं कि भारतीय संविधान ने लोकसभा अध्यक्ष को वित्तीय स्वायत्तता, प्रक्रियात्मक सर्वाधिकार तथा दलबदल मामलों में अर्द्ध-न्यायिक विवेकाधिकार प्रदान करके एक अत्यंत शक्तिशाली संस्था के रूप में निर्मित किया है। हालाँकि, आंकड़ों का गहन विश्लेषण दो स्पष्ट प्रवृत्तियों को उजागर करता है:

1. **संवैधानिक संरक्षण एवं गरिमा:** स्वतंत्रता के बाद से जी.वी. मावलंकर, नीलम संजीव रेड्डी, पी.ए. संगमा और सोमनाथ चटर्जी जैसे पीठासीन अधिकारियों ने कई अवसरों पर दलगत हितों से ऊपर उठकर कार्य किया और संसदीय स्वायत्तता की रक्षा की।
2. **दलीय दबाव और अंतर्विरोध:** ब्रिटेन की भांति चुनाव जीतने पर दल से अनिवार्य त्यागपत्र न देने की परिपाटी तथा दलबदल विरोधी कानून में अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय की समय-सीमा का अभाव, अध्यक्ष पद की राजनीतिक निष्पक्षता पर सवाल उठाता रहा है। 1992 के *किहोतो होलोहान* मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अध्यक्ष के निर्णयों को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाना इसी दलीय झुकाव की संभावनाओं को नियंत्रित करने की एक संवैधानिक व्यवस्था थी।

विषयगत विवेचन एवं गहन विश्लेषणात्मक अध्ययन

(Detailed Subjective & Analytical Discussion)

1. संवैधानिक स्थिति एवं स्वायत्तता

लोकसभा अध्यक्ष की स्वायत्तता बनाए रखने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं:

1. **वेतन एवं भत्ते:** अध्यक्ष का वेतन भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर भारित होता है, जिस पर संसद द्वारा मतदान नहीं कराया जा सकता।

2. **सदन में आचरण पर चर्चा नहीं:** अध्यक्ष के निर्णयों व आचरण की समीक्षा केवल एक औपचारिक निष्कासन प्रस्ताव के दौरान ही हो सकती है, सामान्य बहसों में नहीं।

2. शक्तियाँ एवं कार्यक्षेत्र

अध्यक्ष की शक्तियों को चार प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- **विधायी एवं प्रक्रियात्मक शक्तियाँ:** सदन का कार्यसूची तय करना, गणपूर्ति (Quorum) के अभाव में सदन स्थगित करना, और धन विधेयक (Money Bill) का अंतिम रूप से निर्धारण करना।
- **संसदीय समितियों पर नियंत्रण:** सभी संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करना तथा कार्य मंत्रणा समिति (BAC) और नियम समिति की अध्यक्षता करना।
- **विशेषाधिकारों का संरक्षण:** सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों (Privileges) का उल्लंघन होने पर दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश करना।
- **अर्द्ध-न्यायिक शक्तियाँ (10वीं अनुसूची):** दलबदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता पर अंतिम निर्णय लेना।

राजनीतिक, सामाजिक अथवा आर्थिक विचारों का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन (Analytical Evaluation of Political Ideas)

1. निष्पक्षता बनाम दलीय प्रतिबद्धता (Impartiality vs. Party Loyalty)

ब्रिटेन में 'वंस ए स्पीकर, ऑलवेज ए स्पीकर' की स्वस्थ परंपरा है, जहाँ अध्यक्ष बनते ही व्यक्ति अपनी राजनीतिक पार्टी से त्यागपत्र दे देता है और अगला चुनाव निर्दलीय लड़ता है। इसके विपरीत, भारत में अध्यक्ष अपने राजनीतिक दल की सदस्यता से त्यागपत्र नहीं देते। परिणामस्वरूप, संवेदनशील राजनीतिक मुद्दों (जैसे अविश्वास प्रस्ताव या दलबदल याचिकाएं) पर उनके निर्णयों को अक्सर दलीय दृष्टिकोण से देखा जाता है।

2. 10वीं अनुसूची और न्यायपालिका से टकराव

52वें संविधान संशोधन (1985) ने अध्यक्ष को दलबदल मामलों में सर्वाधिकार दिया। परंतु विभिन्न मामलों में यह देखा गया कि अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में अनावश्यक देरी की गई या सत्ता पक्ष के अनुकूल फैसले दिए गए। 1992 के **किहोतो होलोहान मामले** में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 10वीं अनुसूची के तहत निर्णय देते समय अध्यक्ष एक 'न्यायाधिकरण' (Tribunal) के रूप में कार्य करता है, अतः उनके निर्णयों की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की जा सकती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

प्रस्तुत शोध के अंतर्गत निर्धारित शोध उद्देश्यों, शोध प्रश्नों एवं परिकल्पना ($H1$) का समाकलन तथा गहन विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के पश्चात् निम्नलिखित मुख्य निष्कर्ष प्राप्त होते हैं:

1. संवैधानिक स्थिति एवं स्वायत्तता - प्रथम उद्देश्य एवं प्रथम शोध प्रश्न के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 93, 94, 96, 100(1) और 112(3)(g)** के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष की संस्थागत स्वायत्तता, पद की सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के पर्याप्त संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। अध्यक्ष का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होना तथा उन्हें केवल सदन के प्रभावी बहुमत (Effective Majority) द्वारा ही हटाया जाना, उन्हें एक स्वतंत्र और उच्च संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। हालाँकि, ब्रिटेन की तर्ज पर चुनाव जीतने के पश्चात राजनीतिक दल से औपचारिक त्यागपत्र न देने की भारतीय परंपरा के कारण, उनकी दलीय निरपेक्षता पर व्यावहारिक राजनीति में निरंतर प्रश्न उठते रहे हैं।

2. शक्तियों का स्वरूप एवं अर्द्ध-न्यायिक भूमिका - द्वितीय व तृतीय उद्देश्य तथा संबंधित शोध प्रश्नों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अध्यक्ष के पास व्यापक विधायी, प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक एवं अर्द्ध-न्यायिक शक्तियाँ निहित हैं। **10वीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून, 1985)** के तहत अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर निर्णय लेने का अधिकार उन्हें एक 'न्यायाधिकरण' (Tribunal) की स्थिति में ला खड़ा करता है। तथ्यात्मक विश्लेषण यह दर्शाता है कि अयोग्यता याचिकाओं के निपटारे के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय न होने के कारण, कई अवसरों पर अध्यक्षीय विवेकाधिकार का प्रयोग दलीय लाभ-हानि के आधार पर हुआ। परिणामस्वरूप, **1992 के ऐतिहासिक किहोतो होलोहान मामले** में सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यक्ष के निर्णयों को 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) के दायरे में लाकर इस संस्थागत सीमा को दूर करने का प्रयास किया।

परिकल्पना का सत्यापन (Verification of Hypothesis) - शोध की निर्धारित परिकल्पना–*"यद्यपि भारतीय संविधान लोकसभा अध्यक्ष को स्वायत्त और निष्पक्ष भूमिका प्रदान करता है, परंतु ब्रिटेन की भांति चुनाव जीतने के पश्चात दल से त्यागपत्र न देने की परंपरा और दलबदल कानून के तहत विवेकाधीन शक्तियों का दलीय झुकाव के साथ प्रयोग, अध्यक्ष पद की निष्पक्षता और संसदीय गरिमा को प्रभावित करता है"*–**पूर्णतः सत्य एवं सत्यापित प्रमाणित होती है**।

प्रस्तुत शोध के तथ्य यह सिद्ध करते हैं कि यद्यपि जी.वी. मावलंकर, नीलम संजीव रेड्डी और सोमनाथ चटर्जी जैसे पीठासीन अधिकारियों ने कई ऐतिहासिक अवसरों पर दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर निष्पक्षता की मिसाल पेश की, परंतु भारतीय संसदीय प्रणाली में अध्यक्ष का अपने राजनीतिक दल से औपचारिक संबंध न तोडना और दलबदल मामलों में राजनीतिक प्राथमिकताओं के आधार पर निर्णय लेना इस पद की पूर्ण निष्पक्षता के मार्ग में सबसे बड़ी संस्थागत बाधा बना हुआ है।

संक्षेप में, प्रस्तुत शोध सिद्ध करता है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद भारतीय संसदीय लोकतंत्र की रीढ़ और विधायी स्वायत्तता का प्रतीक है। संविधान द्वारा प्रदत्त अपार शक्तियों और स्वतंत्रता के बावजूद, इस संस्था की वास्तविक सफलता केवल लिखित प्रावधानों पर नहीं, बल्कि पीठासीन अधिकारी की व्यक्तिगत निष्पक्षता और दलीय तटस्थता पर निर्भर करती है।

अध्यक्ष पद की गरिमा और संसदीय व्यवस्था में जनता का विश्वास पुनर्स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि दलबदल संबंधी अयोग्यता याचिकाओं का निर्णय लेने के लिए एक समयबद्ध (3 से 6 माह) प्रक्रिया अपनाई जाए अथवा यह अधिकार किसी स्वतंत्र चुनाव न्यायाधिकरण को सौंपा जाए। साथ ही, ब्रिटेन की भांति अध्यक्ष चुने जाने पर अपने राजनीतिक दल से त्यागपत्र देने की स्वस्थ परंपरा का विकास करना भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के लिए अत्यंत आवश्यक है।

सुझाव (Recommendations)

1. **दलीय सदस्यता से त्यागपत्र:** भारत में भी ब्रिटिश मॉडल की तर्ज पर यह वैधानिक परंपरा स्थापित की जानी चाहिए कि अध्यक्ष चुने जाने पर व्यक्ति अपने राजनीतिक दल से औपचारिक त्यागपत्र दे।
2. **दलबदल मामलों हेतु स्वतंत्र निकाय:** 10वीं अनुसूची के तहत सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष के स्थान पर एक स्वतंत्र 'संसदीय चुनाव न्यायाधिकरण' या निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति/राज्यपाल को दिया जाना चाहिए।
3. **समयबद्ध निर्णय:** जब तक अयोग्यता का अधिकार अध्यक्ष के पास है, तब तक याचिकाओं के निपटारे के लिए 3 से 6 महीने की सख्त समय-सीमा तय की जानी चाहिए।
4. **सर्वसम्मति से चयन:** अध्यक्ष का निर्वाचन सत्ता पक्ष और विपक्ष की सर्वसम्मति से करने की स्वस्थ परंपरा विकसित की जानी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची (References)

1. कश्यप, सु. सी., (1994), *पार्लियामेंट्री प्रोसीजर: लॉ, प्रिविलेजेज, प्रैक्टिस एंड प्रेसिडेंट्स*. यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग.
2. कौल, एम. एन., एवं शकदहेर, एस. एल., (2001), *प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट* (5वां संस्करण). लोकसभा सचिवालय एवं मेट्रोपॉलिटन बुक कंपनी.
3. बासु, डी. डी., (2013), *इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया* (21वां संस्करण). लेक्सिसनेक्सिस बटरवर्थ्स वाधवा.
4. मॉरिस-जोन्स, डब्ल्यू. एच., (1957), *पार्लियामेंट इन इंडिया*. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस.
5. अग्निहोत्री, व. के. (2012). द ऑफिस ऑफ द स्पीकर: स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस. *जर्नल ऑफ पार्लियामेंट्री इंफॉर्मेशन*, 58(2), पृ. 115.
6. कश्यप, सु. सी. (1998). द ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड द टेन्थ शेड्यूल. *द इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस*, 59(1), पृ. 18.
7. भारत सरकार. (1950). *भारत का संविधान*. विधि एवं न्याय मंत्रालय.
8. लोकसभा सचिवालय. (2014). *रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा* (15वां संस्करण). नई दिल्ली.

9. नूरानी, ए. जी. (2017, 12 मई). द स्पीकर एंड द कॉन्स्टिट्यूशन. *द हिंदू*.

10. वेंकटेश, जे. (2016, 24 मार्च). पार्टिसन स्पीकर्स एंड द एंटी-डिफेक्शन लॉ. *इंडियन एक्सप्रेस*.

न्यायिक निर्णय (Judicial Pronouncements)

11. *किहोतो होलोहान बनाम ज़चिल्हू और अन्य*, AIR 1993 SC 412 (1992).

ISARA INSTITUTE OF MANAGEMENT & PROFESSIONAL STUDIES

WWW.IIMPS.IN

EARN YOUR

MBA



Accreditation & Ranking

UGC / NCTE Approved.

INFO@IIMPS.IN

011-41005174

RESEARCH GATEWAY

STOP PLAGIARISM

1 Submit your content in Word File.

2 Get report in 48 hrs.

3 *Missing content or references will be fixed.

4 Citation for your work.

5 Get accurate user friendly report.

researchgateway.in | info@researchgateway.in

+91-9205579779

AROGYAM ONLINE

Arogyam Ayurveda

Holistic Healing through herbs

100% NATURAL

PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER

COLOR PSYCHOLOGY : HOW COLOR AFFECT YOUR CHILD

BLUE — Calms your Child's Mind & Body

YELLOW — Promotes Concentration, Stimulates the Memory

PINK — Evokes Empathy, makes your Child Calm

RED — Excites and energizes your Child's body

GREEN — Improves Reading speed and Comprehension

www.parivartan4u.com

Confuse about your children's future?

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY

ISSN – 2250 – 1959 (0) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMST.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF COMMERCE, ARTS AND SCIENCE

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (0) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE ENGINEERING AND TECHNOLOGY

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM

INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION

ISSN 2582-5445

WWW.IRJMSI.COM

JOURNAL OF LEGAL STUDIES,POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH

WWW.JLPER.COM